सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी, धुर्वा, राँची

दिनांक 26.03.2025 एवं 12.04.2025 को आहुत कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही

दिनांक 26.03.2025 को शाम 5.30 बजे में सी0एस0ओ0 को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी के कार्यकारिणी समिति की बैठक निर्धारित समय पर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, वन विभाग, डोरण्डा, राँची में की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. श्री आर0पी0 सिंह, भा0व0से0 – अध्यक्ष
2. श्री आर0के0 मल्लिक, भा0पु0से0 – उपाध्यक्ष एवं सचिव
3. श्री रेजी डुंगडुंग, भा0पु0से0 – निदेशक
4. श्री कमलेश पाण्डेय, भा0व0से0 – निदेशक
5. श्री अशोक कुमार सिंह, भा0व0से0 – निदेशक
6. श्री हंसराज सिंह, भा0प्र0से – निदेशक
7. श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी, भा0व0से0 – निदेशक

इसके अतिरित सोसाईटी के निम्नांकित कार्यकर्ता सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया:–

1. श्री अरूण कुमार, डेवलपर/वास्तुविद्ध
2. श्री अनुप बर्मन, रजिस्ट्रीकर्ता

दिनांक 12.04.2025 को 3.30 बजे अपराहन् में सी0एस0ओ0 को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी के कार्यकारिणी समिति की बैठक निर्धारित समय पर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, वन विभाग, डोरण्डा, राँची में की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. श्री आर0पी0 सिंह, भा0व0से0 – अध्यक्ष
2. श्री आर0के0 मल्लिक, भा0पु0से0 – उपाध्यक्ष एवं सचिव
3. श्री सतीश कुमार, भा0व0से – निदेशक

इसके अतिरित सोसाईटी के निम्नांकित कार्यकर्ता सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया:–

1. श्री अरूण कुमार, डेवलपर/वास्तुविद्ध
2. श्री अनुप बर्मन, रजिस्ट्रीकर्ता

1. कुछ सदस्यों के द्वारा उठाये गये Unhabitable plot जिनकी संख्या लगभग 15 की है, के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि 2 अप्रिल, 2025 को सांगा गाँव का स्थल भ्रमण कर सदस्यों के समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के साथ काँके अंचल के पदाधिकारी एवं

अमीन के साथ वास्तुविद्व श्री अरूण कुमार वस्तुस्थिति का जायजा लेकर समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं।

2. आन्तरिक सड़क एवं प्लॉट को habitable बनाने का कार्य The Creator श्री अरूण कुमार कर रहे हैं। श्री अरूण कुमार को पूर्व में किये गए कार्य का बकाया लगभग रू0 12.00 लाख के विरूद्ध रू0 8.00 लाख रूपये अग्रिम का भुगतान किया गया है।
3. रिटेनिंग वॉल/बाउन्ड्री वॉल/पिलर का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को 23/2/2018 के एग्रीमेन्ट के अनुरूप श्री प्रदीप मोदी M/s Equus Estates Pvt. Ltd. द्वारा कराया जा रहा है। उपरोक्त कार्य कराने हेतु रू0 50,00,000/–(रूपये पचास लाख) अग्रिम राशि की माँग की गयी है। एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत वर्तमान में कार्य की प्रगति को देखते हुए 30.00 लाख रूपये भुगतान की स्वीकृति Executive Committee की बैठक में निर्णय लेकर mobilization advance पर विचार किया गया। Executive Committee के सदस्य श्री प्रदीप मोदी M/s Equus Estates Pvt. Ltd. के साथ एक मिटींग कर उनके द्वारा एग्रीमेन्ट के अनुसार कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण करेगें।
4. कार्यकारिणी समिति ने यह निर्णय लिया कि पूर्व में दिनांक 15.12.2024 को आहुत वार्षिक आम सभा की बैठक में लिए गए निर्णय की कंडिका – 5 जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2025 तक विकास मद में 1.50 लाख की राशि जमा करनी थी। उपर्युक्त प्लॉटों के समस्या के समाधान को मद्देनजर रखते हुए विकास राशि 1.50 लाख को सदस्यों द्वारा जमा करने की अवधि 30 अप्रिल, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
5. सदस्यों के प्लॉट का आवंटन पत्र तैयार कर भेजा जा रहा है। अबतक 54 आवंटन पत्र प्रेशित किये जा चुके है। अभी 37 आवंटन पत्र पर सचिव का हस्ताक्षर हो चुका है। तत्काल दिनांक 2 अप्रिल, 2025 को सांगा गाँव का स्थल भ्रमण कर सदस्यों के समस्या का समाधान करने की कोशिश के पश्चात हस्ताक्षर हुए आवंटन पत्र प्रेषित किया जाना था, किन्तु चौहदी के नापी के अनुरूप आवंटन पत्र निर्गत किया किया जाना है। अगले सप्ताह में लगभग 50 आवंटन पत्र भेजने कार्रवाई की जायेगी।
6. निवंधन का कार्य– सहायक निबंधक सहकारिता में शपथ पत्र देने के सम्बन्ध में पूर्व में 204 सदस्यों का निवंधन हो चुका है। अब पुनः उन सभी का संशोधित पत्र (Rectification deed) बनाना है। प्लॉट की चौहद्दी एवं रकबा के अनुसार सदस्यों को एक शपथ पत्र देना है। इस कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु अनुप वर्मन को निर्देश दिया गया।
7. Nominee के सम्बन्ध में - किसी सदस्य के असामयिक मृत्यु के उपरांत उनके प्लॉट का आवंटन उनकी मृत्यु के फलस्वरूप महालेखाकार द्वारा निर्गत PPO जो व्यक्ति प्राप्त कर रहे हैं, उनके नाम से आवंटन पत्र/रजिस्ट्रेशन का कार्य

किया जाएगा। साथ ही परिवार के सभी सदस्य मिलकर मुख्य सदस्य या कर्ता का चुनाव करेगें एवं मनोनीत सदस्य के साथ ही सोसाईटी सभी तरह का पत्राचार करेगें।

8. जो सदस्य सोसाईटी के द्वारा आवंटित प्लॉट को छोड़ना (surrender) करना चाहते हैं, उन्हें उनके द्वारा जमा राशि को वापस कर दिया जाएगा। तदनुसार उन्हें NOC दिया जाएगा।
9. प्लॉट ट्रांसफर में सोसाईटी को लाभांश मिलना चाहिए। इसके लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी से नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।
10. विद्युतीकरण का कार्य हेतु वास्तुविद्ध श्री अरूण कुमार को काँके ब्लॉक/अंचल के बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं अनुमण्डल पदाधिकारी (विद्युत) के साथ सोसाईटी अन्तर्गत सांगा गाँव का स्थल निरीक्षण करेगें एवं मिनी सब स्टेशन बनाने का स्थल निरीक्षण करायेगें।
11. सोसाईटी का कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु ऑफिस को अरगोड़ा/अशोकनगर के आसपास सिफ्ट करना है, ताकि सोसाईटी का कार्य सुचारू रूप से निष्पादित हो सके, जिसके लिए पहल की जा रही है।
12. सोसाईटी का लेखा संधारण का कार्य पिछले कई वर्षो से लम्बित पड़ा है, उसे up to date करने की आवश्यकता है। लेखा संधारण का कार्य अद्यतन करने की कार्रवाई की जा रही है।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाई समाप्त की गयी।

(आर0के0 मल्लिक)
उपाध्यक्ष एवं सचिव
Vice-President
CSO Co-operative Housing Society Ltd.